

## प्रेस नोट

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित पार्ट टाइम मल्टी टारक वर्कर पालिसी 2020 तथा उरामें समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जिला कांगड़ा अपने अधीन आने वाली प्राथमिक पाठशालाओं व एकल माध्यमिक पाठशालाओं में पार्ट टाइम मल्टी टारक वर्करों की भर्ती प्रक्रिया मासिक मानदेय 5625/- (शैक्षणिक सत्र के दस माह के लिए) पर प्रारम्भ करने जा रहा है। जिस हेतु खाली पदों की सूचना खंड 5625/- (शैक्षणिक सत्र के दस माह के लिए) पर प्रारम्भ करने जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी इन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा सम्बधित उप मंडलाधिकारी (नारी) के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों हेतु अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटो कापी सहित रांगधित खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 27-04-2022 सांय 5 वजे तक जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र पर स्व प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाना भी अनिवार्य होगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन दिनांक 13-04-2022 से दिनांक 27-04-2022 तक सम्बधित खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके उपरान्त दिनांक 10 मई 2022 तक आवेदन पत्रों की छटनी की जाएगी व 31 मई 2022 तक भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाएगा। प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय है।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों जिनकी स्व प्रमाणित प्रतिया संलग्न की जानी है, उनकी सूची निम्न प्रकार से है:-

1. सम्बधित वार्ड/पंचायत का प्रमाण पत्र सम्बधित पंचायत सचिव अथवा शहरी स्थानीय निकाय में सम्बधित कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो।
2. जन्मतिथी/आयु प्रमाण पत्र।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
4. विभिन्न श्रेणियों के प्रमाण पत्र:-
  - (क) विधवा/अनाथ/संदर्भित दिव्यांग प्रमाण पत्र।
  - (ख) ऐसे परिवार का सदस्य जो अत्याधिक गरीब/दयनीय परिस्तिथि में रह रहा हो का प्रमाण पत्र।
  - (ग) पति द्वारा परित्यक्त नारी प्रमाण पत्र।
5. उन अभ्यर्थियों के लिए जिन के परिवार ने पाठशाला हेतु भूमिदान की है, भूमि दान प्रमाण पत्र।
6. अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा से नीचे संबंध रखता हो, का प्रमाण पत्र।
7. अभ्यर्थी जिसके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में नहीं है, का प्रमाण पत्र।

SD

दिनांक: 11 अप्रैल 2022

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

प्रतिलिपि :- ३३०-३१ (११/०५/२०२२)

1. जिला लोक संपर्क अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ प्रपित है कि इसे सभी समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से प्रसारित एवं प्रकाशित करने की कृपा करें।
2. आंतरिक शाखा प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला